न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/418

प्रकरण संख्या 183/22

अनवान

1. बालुलाल पिता पुरा रावत निवासी भरडिया तहसील कानोड ज़िला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी कानोड, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: :निर्णय: :— **दिनांक :—24.01.2023**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत 2078—81 की खाता संख्या नया 65, 66 में प्रार्थी द्वारा अपना नाम बाबुलाल पिता पुरा रावत के बजाय बालुलाल पिता पुरा रावत संशोधित किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

I. राजस्व ग्राम उम्मेदपुरा जमाबंदी 2078—81 की खाता संख्या 65 व 66 पर प्रार्थी का नाम बाबुलाल पित पुरा रावत निवासी भरडिया दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बालुलाल पिता पुरा रावत है और प्रार्थी के आधार कार्ड में भी बालुलाल पिता पुरा रावत दर्ज है। प्रार्थी को ग्राम एवं सामाजिक स्तर पर भी बालुलाल पिता पुरा रावत के नाम से जाना जाता है।

II. यह कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बाबुलाल की बजाय बालुलाल दर्ज किया जाता है तो किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रार्थी का नाम बाबुलाल पिता पुरा रावत के बजाय बालुलाल पिता पुरा रावत संशोधित किये जाने की अनुशंषा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:07 IST
Reason: Self Attested

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व

प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या 65, 66 में प्रार्थी का नाम बाबुलाल पुत्र पुरा जाति रावत दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बालुलाल पुत्र पुरा रावत है जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ द्वारा पेश रिपोर्ट के अध्ययन से पाया की प्रार्थी का वास्तविक नाम बालुलाल पिता पुरा रावत है और प्रार्थी के आधार कार्ड में भी बालुलाल पिता पुरा रावत दर्ज है। प्रार्थी को ग्राम एवं सामाजिक स्तर पर भी बालुलाल पिता पुरा रावत के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत सारंगरपुरा (भीण्डर) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रमाणित किया गया की बाबुलाल व बालुलाल नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया तथा व्यक्तिगत रूप से पहचानना बताया।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार कानोड, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, कार्यालय ग्राम पंचायत सारंगरपुरा (भीण्डर) का प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: :आदेशः :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा उम्मेदपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 65, 66 में प्रार्थी का नाम बाबुलाल पिता पुरा जाति रावत सा. भरडीया के बजाय बालुलाल पिता पुरा रावत सा. भरडीया संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 24.01.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:07 IST
Reason: SelfAttested